



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE

एन.बी.सी.सी. सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



फाइल संख्या: एचआरडी-11/52/2024/एपीएआर/2023-24/1346

दिनांक: 29 अप्रैल 2025

सेवा में,

सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास)
सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल)
सभी क्षेत्र.भ.नि.आ./क्षेत्रीय कार्यालय /प्र.से.प्र.-मुख्यालय/आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/जिला कार्यालयों
के प्रभारी अधिकारी

विषय: वर्ष 2023-2024 के लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रस्तुत करने की
समयसीमा में विस्तार के संबंध में।

महोदया/महोदय,

कृपया विभिन्न एपीएआर गतिविधियों को पूरा करने की समयसीमा के संबंध में मुख्यालय के
दिनांक 24.09.2025 एचआरडी-11/52/2024/एपीएआर -परिपत्र/ 1100 और दिनांक 20.11.2024 का
परिपत्र संख्या एचआरडी -11/52/2024/एपीएआर/2023-24/1153 देखें। दिनांक 25.02.2025 का परिपत्र
संख्या एचआरडी-11 /52/2024/एपीएआर/2023-24/1288, दिनांक 24.03.2025 परिपत्र संख्या
एचआरडी-11/52/2024/एपीएआर/2023- 24/1315 और दिनांक 09.04.2025 का परिपत्र संख्या एचआरडी
11/52/2024/एपीएआर/2023-24/1336 ।

2. इस संबंध में, वर्ष 2023-24 के लिए एपीएआर के प्रकटीकरण और अपील प्रक्रिया की समयसीमा को
निम्नानुसार संशोधित किया गया है: -

क्र. सं.	गतिविधियां	समय-सीमा (नियत तिथि या उससे पूर्व पूर्ण किया जाए)
1.	अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी गई है द्वारा एपीआर पर अभ्यावेदन यदि कोई हो तो देना	4 मई 2025
2.	एपीएआर कस्टोडियन द्वारा सक्षम प्राधिकारी	11 मई 2025

	को अभ्यावेदन अग्रेषित करना	
3.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यावेदन का निपटान और उसे एपीएआर कस्टोडियन को अग्रेषित करना	18 मई 2025
4.	एपीएआर कस्टोडियन द्वारा सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की सूचना अधिकारी जिसकी रिपोर्ट लिखी गई है को देना।	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय को अंतिम रूप दिए जाने के 10 दिन के भीतर अर्थात् 28 मई 2025 तक
5.	एपीएआर प्रक्रिया की समाप्ति जिसके बाद एपीएआर को अंतिम रूप से रिकॉर्ड में लिया जाएगा	1 जून 2025

3. इस संबंध में आगे कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)



(उदय गुप्ता)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-II (एचआरडी-II)

प्रतिलिपि (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. क्षे.भ.नि.आयुक्त (एनडीसी) को वेब अपलोड हेतु।
2. कें.भ.नि.आयुक्त, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव को सूचनार्थ।